राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	मूलचन्द बनाम रमेशचन्द हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.10.25	306/2024, 369/2024 पत्रावलीयां प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पत्रावलीयो पर सुनी गयी एवं अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी लिखित बहस को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया। अत: पत्रावलीयां निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस एवं अधिवक्ता रेस्पो. की लिखित बहस पर मनन किया गया, जिससे विदित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 01/06/2018 एवं अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 29/06/2018 के विरुद्ध पृथक-पृथक दो अपीले क्रमश: अपील संख्या 369/2024 एवं अपील संख्या 306/2024 इस न्यायालय के समक्ष करीबन 5 वर्ष 10 माह की देरी से दिनांक 29/04/2024 को प्रस्तुत की गयी है। अत: सर्वप्रथम धारा-5 कानून मियाद का निस्तारण किया जाना उचित समझा जाता है। अंत: अपीलार्थी की मौखिक एवं रेस्पो. की लिखित बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा यह दोनों अपीले करीबन 5 वर्ष 10 माह के विलम्ब से प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम के साथ पेश की गयी है एवं अपीलार्थी द्वारा इतनी लम्बी अवधि की देरी को कन्डोन करवाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम में सरसरी तौर पर तथ्य अंकित कर लाभ चाहा गया है जबकी क़ानूनी प्रावधानों के अनुसरण में दिन-प्रतिदिन की देरी का स्पष्ट अंकन किया जाना आवश्यक होता है किन्तु ऐसा नही कर अपीलार्थी इतनी लम्बी अवधि की देरी को कन्डोन करवाने के कानूनन अधिकारी नही रहते है। अत: ऐसी स्थिति में दोनों अपीलों में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य नही होने से ख़ारिज किये जाते है। फलस्वरूप दोनों अपीले क्रमश: 369/2024 एवं 306/2024 मियाद बाहर धारित कर ख़ारिज की जाती है। पत्रावलीयां फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 08/10/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	